

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा I.A.S.

प्रकरण संख्या - 21/2019 (अपील)

1. बाबूलाल पुत्र बाला जाति गुर्जर
2. रमेश वल्द बाला जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम सनखेडा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

—अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

—रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम 1956 बनाराजगी आदेश दिनांक 20.09.2018
मि0नं0 31/2018 न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी
कोटा कार्यवाही धारा 91 भू रा0 अधि0

उपस्थिति

श्री रामप्रसाद नागर, अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय

दिनांक:-26.02.2020

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा ने ग्राम सनखेडा की भूमि खसरा नम्बर 232 की 0.96 हे0 किस्म चारागाह में अतिक्रमण की रिपोर्ट पटवारी हल्का के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए प्रकरण संख्या 198/2017 दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि से बेदखली के आदेश किया जाकर 550/- रुपये का शास्ति एवं तीन माह (90 दिवस) का सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करते हुए दिनांक 20.09.2018 को निर्णय पारित किया है।
2. उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 11.01.2019 को पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवार हल्का की रिपोर्ट पर ग्राम सनखेडा आराजी खसरा नं0 232 की रकबा 0.96 हे0 किस्म बारानी व खसरा नम्बर 177 रकबा 0.10 हे0 किस्म चारागाह पर अतिक्रमी की रिपोर्ट करने पर प्रकरण दर्ज कर भूमि से बेदखल करने तथा जुमाना 550/- बतौर शास्ति एवं 90 दिन के सिविल कारावास से दण्डित किये जाने का आदेश पारित करने में गभीर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई साक्ष्य हल्का पटवारी द्वारा पेश नहीं की गयी थी कि जिससे प्रार्थी के विरुद्ध खसरा नम्बर 232 रकबा 0.96 हे0 किस्म बारानी व खसरा नम्बर 177 रकबा 0.10 हे0 किस्म चारागाह आराजी पर पश्चातवर्ती



अतिक्रमण सिद्ध होता हो, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने में गंभीर त्रुटि की है। अपीलान्त का भूमि पर कब्जा नहीं है, पैमाईश कर अपीलान्त की खाते की भूमि के अलावा सरकारी भूमि पाये जाये तो अपीलान्त उक्त भूमि को छोड़ने को तैयार है तथा प्रार्थी अपीलान्त पर अधिरोपित शास्ति की राशि भी प्रार्थी अपीलान्त ने जमा करवा दी गयी है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी वारंट की पालना में दिनांक 2.1.2018 को पुलिस वाले तामिल हेतु आने पर प्रार्थी अपीलान्त को सर्वप्रथम जानकारी हुई है जिस पर अविलम्ब दिनांक 3.1.2019 को अधीनस्थ न्यायालय से नकल प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की जा रही है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। परोकार सरकार उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्त द्वारा दौराने बहस अपील अपील मेमो में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में नहीं आता है, मौके पर अपीलान्त का कभी कोई कब्जा नहीं है पैमाईश कर अपीलान्त की खाते की भूमि के अलावा सरकारी भूमि पाये जाने तो अपीलान्त उक्त भूमि को छोड़ने को तैयार है तथा प्रार्थी अपीलान्त पर अधिरोपित शास्ति की राशि भी प्रार्थी अपीलान्त ने जमा करवा दी गयी है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार कर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावें।




परोकार सरकार ने अपनी बहस में कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी ली जाकर प्रकरण दर्ज कर नोटिस पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दिया है। रिपोर्ट पटवारी से अतिक्रमण, पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होना मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है।

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी व बहस पर मनन किया। न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.09.2018 के विरुद्ध यह अपील दिनांक 11.01.2019 को पेश की गई, अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का ने रिपोर्ट पेश की है कि **बाबूलाल, रमेश** पुत्र बाला जाति गुर्जर, निवासी ग्राम सनखेडा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ने ग्राम सनखेडा की भूमि खसरा नम्बर 232 रकबा 0.96 हैक्टेयर **बारानी व ख0 नं0 177 रकबा 0.10 हे0 किस्म चारागाह पर** अनाधिकृत कब्जा कर पत्थर कोट व मकान बनाए हुए है। इनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे। रिपोर्ट पटवारी के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज कर अपीलान्त को अतिक्रमण की गई भूमि के बावत नोटिस जारी किया जाकर उसे बेदखली के आदेश करते हुए 550/- रुपये का जुर्माना तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए 03 माह (90 दिवस) के सिविल

(Signature)

कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। अपीलान्त उक्त अतिक्रमित भूमि को छोड़ने को तैयार है।

7. अतः अपील अपीलान्त आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलांत ने विवादित आराजी ख0नं0 232 रकबा 0.96 हे0 किस्म बारानी व ख0नं0 177 रकबा 0.10 हे0 किस्म चारागाह से कब्जा हटा लिया हो, तावान जमा करा दिया हो तथा भविष्य में कब्जा नहीं करने बाबत अन्डरटेकिंग (शपथ पत्र) अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दे तथा जिसकी पुष्टि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा की जावे, तो इस स्थिति में सिविल कारावास का दण्ड निरस्त किया जाता है तथा शेष आदेश बाबत बेदखली एवं तावान कायमी यथावत रखा जाता है।
8. निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(ओम कसेरा)

ज़िला कलेक्टर, कोटा
कोटा

